संख्या-**186**/2025/**175** के-2/22-3-2024-17(**214**)/20**17**

प्रेषक,

शिव गोपाल सिंह,
संयुक्त सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3 लखनऊ दिनांक 05 जून, 2025

विषय:- आदर्श कारागार, लखनऊ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी कालीचरन पुत्र श्री राम बहादुर, निवासी जनपद-पीलीभीत की नामिनल रोल के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने कार्यालय के पत्र संख्या-**20511**/प्रो0अनु0(2)-241/2023(बैठक दिनांक 24.01.2023) दिनांक-09.07.2024 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार आदर्श कारागार, लखनऊ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी कालीचरन (बंदी सं0-17064) पुत्र श्री राम बहादुर, जो-ग्राम मोहम्मदगंज रम्पुरा, थाना-बरखेड़ा, जनपद-पीलीभीत का निवासी है। बंदी के सहअभियुक्त रामस्वरूप की पत्नी प्रधानी का चुनाव हार गयी थी, रामस्वरूप ने लालता प्रसाद को सपरिवार धमकी दी, तुम लोगों ने वोट नहीं दिया इसका नुकसान तुम्हे भुगतना पड़ेगा । इसी चुनावी रंजिश में दिनांक 10.03.2001 को सायंकाल 05.00 बजे 34 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर होली मिलन के अवसर पर बंदूक, देसी तमंचा, बांका, सूजा, लाठी, बल्लम से हमला कर दिया जिसमें 05 लोगों की मृत्यु हो गयी तथा 07 अन्य घायल हो गयें। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण सं0-212/2002, 222/2002 में भा0द0वि0 की धारा-148, 436/149, 307/149, 302/149, 506, व 7 सी0 आर0 एल0 ए0 एक्ट, 4/25 ए0एक्ट के अन्तर्गत मा0 न्यायालय स्पेशल जज एस0सी0/एस0टी0 एक्ट, पीलीभीत के आदेश दिनांक 23.01.2004 द्वारा आजावीन कारावास से दण्डित किया गया। बन्दी की अपील निर्णीत करते हुये मा0 उच्च न्यायालय, के आदेश दिनांक 2**3**-**09**-20**05** द्वारा आजीवन कारावास की सजा को यथावत रखा गया। बन्दी द्वारा 25.12.2022 तक अपरिहार 21 वर्ष, 02 माह, 09 दिन तथा 26 वर्ष, 01 माह, 04 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी की आयु दिनांक 25.12.2022 तक 47 वर्ष, 10 माह, 09 दिन है।

जिला मजिस्ट्रेट एवं पुलिस अधीक्षक द्वारा मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी द्वारा किया गया अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने, भविष्य में अपराध करने का अवसर होने, पुनः अपराध करने में अशक्त नहीं होने, बन्दी को जेल में और आगे निरूद्ध करने का सार्थक प्रयोजन होने की आख्या अंकित करते हुये बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

सलाहकार समिति द्वारा प्रकरण का गहनता से परिशीलन करने पर पाया गया कि प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि बंदी के सहअभियुक्त रामस्वरूप की पत्नी प्रधानी का चुनाव हार गयी थी, रामस्वरूप ने लालता प्रसाद को सपरिवार धमकी दी, तुम लोगों ने वोट नहीं दिया इसका नुकसान तुम्हे भुगतना पड़ेगा । इसी चुनावी रंजिश में दिनांक 10.03.2001 को सायंकाल 05.00 बजे 34 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर होली मिलन के अवसर पर बंदूक, देसी तमंचा, बांका, सूजा, लाठी, बल्लम से हमला कर दिया जिसमें 05 लोगों की मृत्यु हो गयी

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

तथा 07 अन्य घायल हो गयें। जिला मजिस्ट्रेट एवं पुलिस अधीक्षक द्वारा उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में अंकन करते हुए बंदी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। मा0 दण्डन न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा निर्गत अभिमत दिनांक 16.12.2022 स्पष्ट नहीं है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता के दृष्टिगत सी0आर0पी0सी0 की धारा-432 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी कालीचरन पुत्र श्री राम बहादुर को उत्तर प्रदेश जेल मैनुअल के प्रस्तर-180 के अन्तर्गत 14 वर्षीय नामिनल रोल के आधार पर समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गई है।

3- अतः उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आदर्श कारागार, लखनऊ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी कालीचरन पुत्र श्री राम बहादुर (बन्दी संख्या-17064), निवासी जनपद-पीलीभीत की जेल मैनुअल के प्रस्तर-180 के अन्तर्गत 14 वर्षीय नामिनल रोल के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त मा0 राज्यपाल महोदया द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त निर्णय से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
शिव गोपाल सिंह
संयुक्त सचिव।

संख्या- **186**/2025/175 के-2/22-3-2024-17(214)/2017 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी को सूचनार्थ

2- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी को सूचनार्थ।

3- जिला मजिस्ट्रेट, पीलीभीत।

4- अधीक्षक, आदर्श कारागार लखनऊ।

5- नोडल अधिकारी/अधीक्षक, जिला कारागार, गाजियाबाद को मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका (क्रिमि0) संख्या-529/2021 सोनाधर बनाम छत्तीसगढ़ राज्य तथा सुओ मोटो रिट पिटीशन (क्रिमि0) संख्या-04/2021 पॉलिसी स्ट्रेट्जी फार ग्रान्ट ऑफ बेल में दिनांक 10.09.2024 को पारित आदेशों के सन्दर्भ में।

6- कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-**2**, उ0प्र0 शासन।

7- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
अनीस अख्तर अंसारी
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in